न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2024 (राजसमन्द आर्डर)

1. गोपाललाल पिता शंकरलाल जी, जाति सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. धर्मेश कुमार पिता शंकरलाल जी, जाति सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती प्रेमलता पिता शंकरलाल जी, जाति सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती फेफी देवी पत्नी शंकरलाल जी, जाति सुथार, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सुन्दरलाल पिता हीरालाल जी माली, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उप पंजीयक एवं पदेन तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अ. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ दिनांक 16.04.2024 प्रकरण सं0 145/23

---/---

उपस्थित :– 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

---::---

निर्णय **दिनांक 24–07–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पूर्वज लालू, हीरा पिता रामा माली [illegible] नम्बर 3464 रकबा 4 बिस्वा, 3766 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं 4980/3825 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम देवगढ़,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:54 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तहसील देवगढ़ में स्थित है, जिसके वर्तमान आराजी नंबर 3871 रकबा 0.0800 हैक्टर, 3872 रकबा 0.0400 हैक्टर एवं 4338 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.3900 हैक्टर है। प्रार्थी के पिता को रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा 60/– रूपये में बिना कब्जा दिये गणेश पित नन्दराम सुथार के यहां गिरवी रखा, किन्तु धोखा धड़ी व छल कपट पूर्वक फर्जी स्टाम्प पर बेहनामा तैयार कर प्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर करवा लिये, जबकि प्रार्थी के पिता ने उक्त भूमि का विक्रय कभी भी किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया, न ही कब्जा सिपुर्द किया। विपक्षीगण उक्त भूमि पर बल पूर्णक कब्जा करने पर उतारू हैं तथा विक्रय करने पर आमादा हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–04–2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 02–05–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सन् 1949 के बाद कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहा है, न ही उनका व उनके पूर्वजों का एक दिन भी कब्जा रहा है। रेस्पोडेन्ट का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है, न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से किसी प्रकार की हानि होने वाली है। रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:54 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

संख्या 1 का उक्त भूमि से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। सेटलमेन्ट द्वारा आबादी भूमि को पुनः कृषि भूमि दर्ज कर देने से यह भूमि आबादी भूमि नहीं हो जाती है तथा सेटलमेन्ट को पूर्व इन्द्राज को रिपीट करना होता है, इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल जवानी कथन के आधार पर विवादित भूमि रहन होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है, जबकि गिरवी बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2000 Page 483, RBJ (20) 2013 Page 477, RBJ (25) 2018 Page 504 प्रस्तुत की।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। साबिक एवं हाल जमाबन्दी अनुसार अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न तो विवादित भूमि का खातेदार है एवं न ही सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर बिना कोई विवेचन किये रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जबकि RBJ (25) 2018 Page 504 अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–04–2024 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:40:54 IST
Reason: Self Attested

(कीर्ति ...)
... अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
...पुर